



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2013/फाल्गुन 1, 1934

No. 98]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2013/PHALGUNA 1, 1934

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 11 फरवरी, 2013

साकानि 108(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में क्रय एवं भंडार काड़र के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (क्रय एवं भंडार) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तरों में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बारें वे होंगी जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तरों में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरंभिक गठन.—अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट ऐसे पदधारी जो विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 22/1/4/90-सीसीएस/838 तारीख 19-07-1990, 5/2(8)/77-(आरआरसी) प्रशा.-II तारीख 10-09-1979, 22/1/1/84-सीसीएस/1030 तारीख 16-11-1993, 5/2(8)/77-(आरआरसी) प्रशा.-II तारीख 29-04-1980, 16/5(10)/75-पीपी(आरआरसी) तारीख 25-05-1977, 22/1/(1)/92-सीसीएस/262 तारीख 28-04-2000 एवं 25/1(1)/84-सीसीएस/357 तारीख 23-06-1992 के उपबंधों के अनुसार नियमित आधार पर उक्त पदों को धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएं और इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले अनुसूची 1 से 12 में उल्लिखित पदों पर उनकी नियमित और निरंतर सेवा को प्रोन्ति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा, अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

5. निरहृताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : परमाणु ऊर्जा विभाग खंड 4 में उल्लिखित अपने कार्यालय ज्ञापों के उपबंधों के अनुसार क्रय एवं भंडार काड़र में अधिकारियों की नियुक्तियाँ करेगा। ऐसा आरंभिक गठन इस विभाग द्वारा बनाए गए इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा को जारी रखने के लिए अपेक्षित है। इस आरंभिक गठन के उपबंध करने से और इन नियमों के उपबंधों के भूतलक्षी प्रभाव से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

अनुसूची I

पद नाम	पद का संख्या	कार्यक्रम	संख्या परिवर्तन भली प्रति वर्ष	चयन भली प्रति वर्ष	भली की विविध वर्गीकरणों के अनुसार चयन भली प्रति वर्ष	भली की विविध वर्गीकरणों के अनुसार चयन भली प्रति वर्ष	भली की विविध वर्गीकरणों के अनुसार चयन भली प्रति वर्ष	भली की विविध वर्गीकरणों के अनुसार चयन भली प्रति वर्ष	भली की विविध वर्गीकरणों के अनुसार चयन भली प्रति वर्ष	भली की विविध वर्गीकरणों के अनुसार चयन भली प्रति वर्ष	भली की विविध वर्गीकरणों के अनुसार चयन भली प्रति वर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. उप निदेशक (कल्याण पंडार)	5*	साधारण कंडीवाय सेवा समूह "क" राजपत्रिका *कल्याणपात्र के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन बैंड-3 15600 - 39100 रु. + ग्रेड बेतन 7600 रु.	चयन पद लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	(1) संविचार, प्रसमाण ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष	लागू नहीं होता	
										(2) निवेशक, आमा परमाणु असंशयन बैंड - सदस्य बैंड-3 15600-39100 रु. +		
										(3) अपर संचिक, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य		
										(4) निवेशक, क्रय एवं भद्रा - सदस्य		
										(5) संबद्ध विद्युत विशेष में विभेदजा जिसे भली प्रति वर्ष में विभाग द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा - सदस्य		
										परमाणु ऊर्जा विभाग में वेतन बैंड-3 15600-39100 रु. +		
										ग्रेड बेतन 7600 रु. में कार्यरत वेतनिक :		
										इन्हीनियरों अध्यक्ष के लिए सेवाएँ साफ्ट "क" के लिए जांचिकारियों नो सदस्य भेजी में पद घाटा		

बिन्दे हुए हों या लिनहोने उससे निकलते श्रेणी में प्रेड बेतन 6600/- रु. में पाप वर्ष की अंक सेवा पूरी कर ली है तथा जो उपायन एवं यथा समझी प्रबोधन में कठुनव सज्जो हों, की प्रतीनियुक्ति दीता।

टिप्पण-1:

पूल सब्वा में प्रोत्स्थि होने की दशा में कैरिनिक अधिकारी इन्हीनियर अपने पूल सब्वा में बेतन आहित करते/करती।

टिप्पण-2:

प्रोत्स्थि के लिए पात्रता अवधि की संरक्षणा के लिए निर्णयक तारीख तिक पद बाटे वर्ष की 1 अनवरी होती।

टिप्पण-3:

जहाँ ऐसे करिन्द्र व्यक्तियों के संबंध में लिनहोने अपनी अंक या पापका सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्स्थि के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार लिना जाएगा औंतु यह तब जब तक उनके-इरा की गई रेसी नहीं की या पापका सेवा अधिकृत अंक या पापका सेवा सेवा के आवे से अधिक से यह दो वर्ष से, इनमें

से जो भी कम हो, कम न हो
और उहाँने आने ऐसे कवित
छतियों सहित, जिन्हाँने ऐसी
अहंक या पाक्षा सेवा फहले ही
पूरी कर ली है, अगली उड़ान
शैली में प्रवासि के लिए अपनी
परिवारा की अवधि
साफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण - 4 :

प्रोविन्सि के लिए अनुमति अद्यक्ष
सेवा की संगोष्ठी करने के
अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से
पहले/उस तारीख से जिससे छठे
केंद्रीय बेतन आयोग की
सिक्खिशार्थी पर आधारित
पुनर्गठित बेतन संरचना का
विस्तार किया गया है, नियमित
आधार पर की गई सेवा को
आयोग की सिक्खिशार्थी पर¹
आधारित विस्तारित तत्वानी
प्रेषण/बेतन/मानन पर की गई
सेवा समझी जाएगी ।
प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार
पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए
विकसी अधिकारी द्वारा
01.01.2006 से पहले/उस
तारीख से जिससे छठे बेतन
आयोग की सिक्खिशार्थी पर²
आधारित पुनर्गठित बेतन
संरचना का विस्तार किया गया
है, नियमित आधार पर की गई³
सेवा को, सिवाय उस दस के
कहाँ एक से अधिक पूर्व

<p>पुनरीक्षित बेतन का साथारण ग्रेड बेतनबेतनमान सहित एक श्रृंगी में विस्तृत हो गया है और वहाँ यह पायदा के बल उस पद (उन पदों) पर विस्तृत होगा किसके लिए ग्रेड बेतनबेतनमान बिना किसी उम्मेद का साथारण प्रतिस्थापन ग्रेड है। आपेक्षा की फिलिपिनों पर आवासीत विस्तृत तत्त्वानों ग्रेड बेतनबेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>टिप्पण - 5 :</p> <p>बचन में अधिकारियों का साथाराकार अंतर्वित होगा।</p>
	<p>टिप्पण - 6 :</p> <p>पोषक वर्ण के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो ग्रेडिंग की सीधी परिक्षा में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के प्राव नहीं होते। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोफेशनल द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाव नहीं होते।</p>
	<p>टिप्पण - 7 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केवल सरकार के उसी का किसी अन्य संसदन/विभाग में इस नियुक्ति से दीक फैले भरित किसी अन्य काउर बाहर पद प्रतिनियुक्ति</p>
692 GI/13-2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. क्रय अधिकारी	13* (2013)	साधारण कंडैव सेवा समूह का राजनीति	बेतन बैंड-3 चयन पद प्रेष देने 6600 रु.	चयन पद लागू नहीं होता प्रेष देने	लागू नहीं होता प्रेष देने	दो चर्चे	प्रोत्तिटि हो सकते हैं पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	(1) क्रय एवं भंडार के भारतीयक अपर सीधिवास्तुक सचिव - अध्यक्ष ऐसे स्थायक क्रय अधिकारियों जिनमें बेतन बैंड-2 9300- 34800 रु. + गेह देने 4800/5400 रु. की श्रेणी में छह चर्चे की अहंक सेवा पूरी कर ती है, के साथात्कार के पावधम से चयन द्वारा।	(1) क्रय एवं भंडार के भारतीयक अपर सीधिवास्तुक सचिव - अध्यक्ष (2) निदेशक, क्रय एवं भंडार - सदस्य (3) नियंत्रक, भाषा प्रशासन अनुसंधान केंद्र - सदस्य (4) अन्य साकारी विभाग के क्रय एवं भंडार सेवा का समूह ‘का’ का एक अधिकारी - सदस्य	प्रतिनियुक्ति केंद्रीय सरकार के अन्य विभागों मंत्रालयों के उपर्युक्त अधिकारी जो सहग अथवा समकक्ष एवं आलिं छिये हुए हैं।	दिपाल ।। प्रोत्तिटि के लिए पात्रता अवधि की संषोधना के लिए नियायिक तारीख रिकॉर्ड एवं वाले चर्च की । जनकारी होती।	

टिप्पणी-2:

जहां ऐसे कमिल्ल व्यक्तिमानों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्थक या पाकिस्तानी सेवा पूरी कर ली है, प्रोक्ति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्युवा व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब अर्थक या पाकिस्तानी सेवा के आवे कि उनके द्वारा की गई ऐसी से अधिक सेवा दी जावे से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कमिल्ल व्यक्तिमानों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्थक या पाकिस्तानी सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अमरीकी उच्चतर श्रेणी में प्रोक्ति के लिए अपनी परिवेश की अस्थि सफलतापूर्वक ही कर ली जाएगी।

टिप्पणी-3:

प्रोक्ति के लिए न्यूतम अर्थक सेवा की समाप्ति करने के प्रयोगन के लिए विस्तीर्ण अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहलेप्रथम तारीख से जिससे छठे केंद्रीय बेतन अधिग की विस्तीर्ण पर, असाधारण पुरीषित बेतन संचालन का विस्तार किया जाएगा, विषयक आकार पर की गई सेवा को आवेदन की विस्तीर्ण पर

	<p>आधारित विस्तारित तत्त्वानि</p> <p>ग्रेड बेलनबेलनमान पर की गई सेवा समझौते जाएगी। प्रतिनियुक्तिक्रमेलन के आधार पर विद्युति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले उस तारीख से लिस्ट से छठे बेलन आयोग की सिफारिशों पर आधारित प्रतिनियुक्ति बेलन संरचना का वितार किया गया है। नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्ण प्रतिनियुक्ति बेलन का साधारण ग्रेड बेलनबेलनमान सहित एक श्रेणी में विस्तृत हो गया है और वह यह ताप के बल उस पद (उन परों पर विस्तारित होता है) लिए ग्रेड बेलनबेलनमान बिना किसी उल्लंघन का साधारण प्रतिनियुक्ति ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्त्वानि ग्रेड बेलनबेलनमान में की गई सेवा समझौते जाएगी।</p>
	<p>टिप्पणि - 4 : धन्यवाद में अर्थात् का साक्षात्कार अंतर्भूत होगा।</p> <p>टिप्पणि - 5 : प्रोफेक्चर के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोफेक्चर की सीधी पक्की में है, प्रतिनियुक्ति पर</p>

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
3. भंडार अधिकारी	08* (2013)	साधारण कंडैव सेवा समूह "क" गणपति	केतन बैड-3 गेट बेस्ट	चयन पद गेट बेस्ट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोत्तरि द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	(1) क्रय एवं भंडार के भारताधारक अपर सिक्षा/संस्कृत सचिव - अधिकारी ऐसे साधारण चंडाल अधिकारीयों में से जिहाने बेतन बड़-2 9300-34900 रु. + मेड बेतन 4800/5400 रु. को श्रमी में उक्त वर्ष की अंकर सेवा पूरी कर ती है के साथाकार के माध्यम से उपन द्वारा। प्रतिनियुक्ति:	(1) क्रय एवं भंडार के लागू नहीं होता	

<p>ये समस्या कथाया समझकर पढ़ आसित चिन्ह इह हो।</p> <p>प्रोकृति के लिए पात्रता अवधि की संणाना के लिए निर्णायक तारीख तिक एवं वाले वर्ष की 1 जनवरी होनी।</p>	<p>टिप्पणा - 1:</p> <p>प्रोकृति के लिए पात्रता अवधि की संणाना के लिए निर्णायक तारीख तिक एवं वाले वर्ष की 1 जनवरी होनी।</p>
	<p>टिप्पणा - 2:</p> <p>जब ऐसे कठिन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अहंक या पात्रता सेवा पुरी कर ली है, प्रोकृति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु कफ तब जब कि उनके द्वारा कोई गई ऐसी अहंक या पात्रता सेवा के आधे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्हें अपने ऐसे कठिन से कठिन से या सोबत से, इनमें परिवेश की अप्रतिकृति के लिए अपनी अहंक या पात्रता सेवा पहले ही पुरी कर ली है, आली उच्चतर श्रेणी में प्रोकृति के लिए अपनी अवधि सेवा की संणाना करने के प्रयोगन के लिए किसी</p>
	<p>टिप्पणा - 3:</p> <p>प्रोकृति के लिए चूनातम अहंक सेवा की संणाना करने के प्रयोगन के लिए किसी</p>

<p>अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से प्रलेन्ड तारीख से जिससे छह हफ्तों बैतन समझौते के सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित बैतन संरचना का विस्तार किया गया है। नियमित आधार पर की गई सेवा को सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्वाने भेद बैतनबैतनमान पर की गई सेवा समझौते जाएगी। 1 प्रतिशिफ्टि/आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोगन के लिए किसी अधिकारी द्वारा '01.01.2006 से चलेंद्रम तारीख से जिससे छठे बैतन आधार की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित बैतन संरचना का विस्तार किया गया है। नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्ण पुनरीक्षित बैतन का साधारण भेद बैतनबैतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और उस श्रेणी के बाहर के बैतन उस पर (उन फॉर्मों पर विस्तारित होगा) विस्तरे लिए गए बैतनबैतनमान किन किसी उत्तम का साधारण प्रतिश्वान में भेद है, आधो की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्वाने भेद बैतनबैतनमान में की गई सेवा समझौते जाएगी।</p>

<p>टिप्पण - 4 : बचपन में अधिकारी का साक्षात्कार अंतर्वालित होगा।</p>	<p>टिप्पण - 5 : प्रोफेक्टर के द्वारा विभागीय अधिकारी, जो प्रोफिल की समीक्षा परिकल्पना में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के प्रवान नहीं होती। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोफिल द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के प्रावन नहीं होते।</p>
<p>टिप्पण - 6 : प्रतिनियुक्ति को अधिकारी, जिसके अंतर्गत कैर्ड्रेप समकार के उसी या विस्तीर्ण संस्थानविभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले घारित किसी अन्य काडर बाहर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साक्षात्कारया 3 वर्ष से अधिक नहीं होती।</p>	<p>टिप्पण - 6 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकारी आयु सीमा अवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होती।</p>

अनुसूची 2

पर क्रम नम्बर	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देशन विद् यु एवं सेवा/ सेवनात्	अधिकार विभाग मध्य	संखी की विवरण		भर्ती की विवरण : भर्ती सीधे दोगी या प्रोक्षणि द्वारा या प्रोक्षणि /आवेदन द्वारा भर्ती विवरण पद्धतियों द्वारा आवेदन किया जाएगा।	यह विभागीय प्रशिक्षित समिति भर्ती करने ये दिन प्रशिक्षितों में संबंधित सेवा आवेदन के प्राप्तवार्ता किया जाएगा						
					(1)	(2)	(3)	(4)						
1. साधारण क्रम अधिकारी	34*	साधारण कंडीप सेवा समूह "ब" उच्चप्रति (अननुशिष्येय)	वेतन बैट-2 9300- 34800 रु. + प्रेड वेतन 4800 रु. (4 वर्ष के बाद प्रेड वेतन 5400 रु.)	चयन एवं कारबन एवं प्राथमिक आधार पर परिलेन विद्या आ सकता है।	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

<p>(2) अधिकारी :</p> <p>ऐसे क्रम सहायक विनामने के तत्त्व बैड-2 9300-34800 रु. + गोड बेटन 4200 रु. की श्रेणी में न्यूताम आठ वर्ष की विधिक सेवा पूरी कर ली है तथा बेटन बैड-2 9300-34800 रु. + गोड बेटन 4200 रु. की श्रेणी में ऐसे कवित ज्ञान सहायक विनामने क्रम सहायक तथा विशेष क्रम सहायक की श्रेणियों में आठ वर्ष की विधिक अर्थ सेवा पूरी कर ली है तथा जो विभागीय प्रशिक्षा में अंगता प्राप्त करने के बाद क्रम सहायक के पद पर नियुक्त किया गए हैं।</p>	<p>टिप्पणि - 1 :</p> <p>प्रोत्स्थि के लिए पात्रता अवधि की संपादना के लिए निर्णयक तारीख तिक्क पद वाले वर्ष की 1 कमवारी होगी।</p>	<p>टिप्पणि - 2 :</p> <p>जहाँ ऐसे कवित व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्थक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्स्थि के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके ज्ञान विधियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्थक या पात्रता सेवा अप्रीत</p>
---	---	--

उर्धक या प्रवला सेवा के आदि से अधिक से या दो चर्चे से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्हें अन्ये ऐसे कठिन बहिन्यों सहित, जिन्हें ऐसी उर्धक या प्रवला सेवा पहले ही पूरी कर ली है, याती उत्तम श्रेणी में प्रोत्तिके लिए अपनी परिवेश की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

दिव्या... 3:

प्रोत्तिके लिए न्यूतम अर्द्धक सेवा की संणाकरने के प्रयोगन के लिए किसी अधिकारीद्वारा 01.01.2006 से पहलेउस तारीख से जिससे छठे कर्मचार बेतन आयोग की सिफारिशों पर आशासित पुनरीक्षित बेतन संरचना का वित्तार किया गया है, नियमित आयोग पर की भई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आशासित वित्तारित तत्वानी द्वारा केन्द्रवित्तनमय पर की भई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्तिअवलोकन के आयोग पर नियुक्ति के प्रयोगन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहलेउस तारीख से जिससे छठे बेतन आयोग की सिफारिशों पर आशासित पुनरीक्षित बेतन संरचना का वित्तार किया गया है, नियमित आयोग पर की भई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. सहायक भंडार अधिकारी	52* (2013) *कार्यस के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समाचार केन्द्रीय सेवा समूह "ब्रॉड बैनरिट"	बोतन बैड-2 9300- 34800 रु. + प्रेट बोतन 4800 रु. (4 वर्ष के बाद प्रेट बोतन 5400 रु.)	बचन एवं अचयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं	(1) 80 प्रतिशत सौमित्र विभागीय परिक्षा द्वारा द्वारा साक्षात्कार माध्यम से बचन :	(1) सौमित्र विभागीय परिक्षा द्वारा साक्षात्कार माध्यम से बचन एवं भंडार निवेशालय - सदस्य (2) 20 प्रतिशत अचयन (क) ऐसे स्ट्रोकोप जिन्होंने बोतन बैड-2 9300-34800 रु. + प्रेट बोतन 4200 रु. को ब्रॉडी में चूनतम 6 वर्ष की कालक सेवा पूरी करते हैं।	(1) निवेशक, क्रय एवं भंडार निवेशालय - अध्यक्ष (2) संस्कृत निवेशक अथवा उन निवेशक, क्रय एवं भंडार निवेशालय - सदस्य (3) आंतरिक वित्तीय सलाहकार, क्रय एवं भंडार निवेशालय - सदस्य (4) केंद्रीय सरकार के अन्य विभाग या सर्वोच्चक देश के उक्तम के क्रय विभाग के उपरुप ग्रेड का एक प्रतिनिधि - सदस्य	(1) निवेशक, क्रय एवं भंडार लागू नहीं होता

में से कोई सिक्षण उस दस्ता के जांच का एक से अधिक पूर्व
सेव्ह केन्द्र/सेव्हमन सीहित एक
ब्रॉडी में वित्त वेतन पद
(उस पदे) पर विस्तारित होगा
वेतन वेतनमान विस्तारित
ज्ञान का साधारण प्रतिक्षयपन
ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों
पर आपारित विस्तारित
तत्कालीन ग्रेड वेतन/वेतनमान में
की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पणा 4:

वेतन में अवधियों का
साक्षात्कार अंतर्वित होगा।

अक्षय सेवा पूरी कर ली है।

(2). अध्ययन:

ऐसे स्टोरकीपर जिनमें बेतन
केंद्र-2 9300-34800 रु. +
ग्रेड बेतन 4200 रु. की श्रेणी में
द्वितीय 8 वर्ष की नियमित
सेवा पूरी कर ली है तथा बेतन
केंद्र-2 9300-34800 रु. +
ग्रेड बेतन 4200 रु. की श्रेणी में
स्टोरकीपर तथा ज्येष्ठ
स्टोरकीपर की श्रेणी में 8 वर्ष
की समिक्षित अंडक सेवा पूरी
कर ली है तथा जो विषयात्
परीक्षा में अहला प्राप्त करने के
बाद स्टोरकीपर के पद पर
नियुक्त किया गया है।

टिप्पण - 1 :

प्रेसिटि के लिए प्रक्रिया अवधि
की सांकेतिक के लिए निर्णयक
तारीख रिक पद वाले वर्ष की।
जनवरी हीमी।

टिप्पण - 2 :

जां ऐसे कर्मचार व्यक्तियों के
संबंध में जिनमें अपनी अंडक
या प्रक्रिया सेवा पूरी कर ली है
प्रेसिटि के लिए विचार किया जा
एगा है, वहां उनके ज्येष्ठ
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार
विकास कारण परंतु यह तब जब

कि उनके द्वारा कोई गड़ दस्ती
अर्थक या पाताला सेप्टा अवशिष्ट
अर्थक या पाताला सेप्टा के आधे
से एक अधिक से बहुत ज्यादा से, इनमें
त्रिभूतियों सहित, जिनमें ऐसी
उत्तमक या पाताला सेप्टा पहले ही
ऐसी कर ली है, अमाली उत्तमतर
श्रीमी में प्रतीति के लिए अपनी
परिवेशा की अवधि
सामग्रीकरणार्थक पृष्ठी करते ली हो।

三

प्रोत्तेति के लिए न्यूनतम अर्हक
सेवा की संपादन करने के लिए किसी
अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से
पहले उस तरीख से जिससे छठे
केंद्रीय बोर्ड आयोग की
सिफारिशों पर आधारित
पुनर्गठित बोर्ड संस्थान का
विस्तार किया गया है, जिसका
आधार पर कोई गई सेवा को
आयोग की सिफारिशों पर
आधारित विस्तारित तत्वानों
परे ग्रेड बोर्ड संबंधित नहान पर कोई गई
सेवा समझी जायगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3. क्रम संख्याक्र.	72*	साधारण कर्मीय सेवा समूह "ख" अनुसारियर्थी (आशाकरण)	केतन बैंड-2 9300-34800 रु.+ प्रेद केतन 4200 रु.	घयन एवं अध्ययन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो बारे	(1) 80 प्रतिशत संविधित विभागीय परीक्षा घयन	(1) संविधित विभागीय परीक्षा लेखन होता ज्ञान एवं भौतिक विद्यालय - अध्यक्ष	(1) संपुर्ण निवेशक अध्ययन लागू नहीं होता ज्ञान एवं भौतिक विद्यालय - अध्यक्ष	
		"कार्यपाद के आधार पर परिकल्पना किया जा सकता है।							(2) 20 प्रतिशत अध्ययन लेखन होता ज्ञान बैंड-1 5200-20200 रु. + टेक्सेट 2400 रु. को श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्ष की अंधक सेवा पूरी कर ली है।	(2) उग लेखा नियन्त्रक अध्ययन लेखा अधिकारी, क्रय एवं भौतिक विद्यालय - सदस्य	(2) उग लेखा नियन्त्रक अध्ययन लेखा अधिकारी, क्रय एवं भौतिक विद्यालय - सदस्य	
									(3) क्रय अधिकारी, क्रय एवं भौतिक विद्यालय - सदस्य	(3) क्रय अधिकारी, क्रय एवं भौतिक विद्यालय - सदस्य	(4) प्रामाणीक अधिकारी, क्रय एवं भौतिक विद्यालय - सदस्य	
									(5) प्राप्ति ऊर्जा विद्या की किसी संबंधक इकाई से एक	(5) प्राप्ति ऊर्जा विद्या की किसी संबंधक इकाई से एक		

सरका का विस्तार विद्या गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनर्विधित वेतन का साधारण में है, वेतन/वेतनमान सहित एक वाहाँ यह फलत के बाल उस पर वेणी में विवरित हो गया है और (उप पर्याप्त) पर विवरित होगा। जिसके लिए ग्रेड सेवनवेतनमान विन किसी उपर्यन का साधारण प्रतिश्वासन पर ग्रेड है, आयोग की सिवायियों पर अधिकत विवरित तत्वानी ग्रेड के वेतनवेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण - 4:

घयन में अधिकारी का साक्षात्कार अंचित होगा।

	<p style="text-align: right;">आधिकारीहोनेवाले ग्रेड 'एस' अध्यक्ष इससे ऊपर की ग्रेड का एक आधिकारी - सहस्र</p>
<p>रु. की श्रमी ने न्यूतम 10 बचे की अंडक सेवा पूरी कर ली है।</p>	<p>टिप्पणि-1: प्रोविति के लिए पाकता अवधि की संपत्ति के लिए निर्णयक तारीख रिक्विएट वाले चर्च की 1 जनसभी होंगी।</p> <p>टिप्पणि-2: जहाँ ऐसे कठिन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अंडक या पाकता सेवा पूरी कर ली है, प्रोविति के लिए विचार किया जा सा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब अंडक या पाकता सेवा अपेक्षित कि उनके द्वारा की गई ऐसी अंडक या पाकता सेवा के आधे से अधिक से यह दो चर्च से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कठिन व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अंडक या पाकता सेवा पूर्ले ही पूरी कर ली है, आगामी उद्धार श्रेणी में प्रोविति के लिए अपनी परिवासा की अवधि सहस्रसाहस्रक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणि-3: प्रोविति के लिए न्यूतम अंडक</p>

<p>सेवा की संरक्षण करने के प्रयोगन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले तारीख से नियम सुनियोग देने की सिफारिशों पर आधारित वित्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की अवधार की सिफारिशों पर आधारित वित्तार किया गया है, नियमित प्रतिवर्षित/आवाहन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोगन के लिए किसी अधिकारी सेवा समझी जाएगी।</p>
<p>01.01.2006 से पहले तारीख से नियम सुनियोग देने के लिए किसी अधिकारी सेवा समझी जाएगी।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4. स्टोर कीरत (2013)	166* सपारण कंपनी सेवा समूह "द्वा" असाधारित व्यवसाय के आगाम पर परिकल्पन किया जा सकता है।	सेवन बैंड-2 9300- 34800 रु. + ग्रेड चेतन 4200 रु.	चयन एवं आवधन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दोबार	(1) 80 प्रतिशत सीधे विभागीय परीक्षा द्वारा चयन	(1) संकुल विभागीय - संस्था निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - क्रयक द्वारा उत्तरी लेखा अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य	(1) संकुल विभागीय - संस्था निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय - क्रयक द्वारा उत्तरी लेखा अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय - सदस्य	

टिप्पणी - 1:

प्रोत्तिके लिए पारका अवधि
की संशोधना के लिए निषाफक
तात्त्विक पद याते वर्ष की 1
जनवरी होती।

टिप्पणी - 2:

जांच ऐसे करनेह व्यक्तियों के
संबंध में, जिन्होंने अपनी अहक
या पारका सेवा पूरी कर ली है,
प्रोत्तिके लिए विषयार किया जा
रहा है, जांच उनके ज्ञात

<p>विषय आएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा कोई गई ऐसी अर्थक या पाक्षिक सेवा अपेक्षित से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कर्तव्य व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्थक या पाक्षिक सेवा प्राप्त ही पूरी कर ली है, आपनी उचित श्रेणी में प्रोत्साहित के लिए अपनी पाक्षिक सेवा की अवधि समर्पितात्मक पूरी कर ली हो।</p>	<p>टिप्पण - 3 :</p> <p>प्रोत्साहित के लिए न्यूताप अर्थक सेवा की संगणना करने के प्रयत्नम् के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले उत्तराधिक से विक्रम से छठे केन्द्रीय केन्द्र आयोग की सिफारिशों पर आवाहित पुनर्वित बेन्ट संरचना का विस्तार किया गया है, निविष्ट आवाहर पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आवाहित विस्तारित तत्वान्वयी यह केन्द्रवित्तीय कानून के आवाह सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्तिकान्त्रिक के आवाह पर नियुक्ति के प्रयत्नम् के लिए किसी अधिकारी— द्वारा 01.01.2006 से पहले उत्तराधिक से विक्रम से छठे केन्द्र</p>
---	---

<p>असाम की विस्तारित संस्थान का विस्तार किया गया है, जिसका आवाहन पर की गई सेवा को, विवाच उस दल के बहुत एक ने अधिक पूर्ण प्रशिक्षित बेटन का साधारण घोड़ के बेटन/सेवनमान संरचित एक श्रेणी में विस्तार हो गया है और यहां यह कार्यालय के बाल उस पर (उन पर्दों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए फ्रेड बेटन/बेटनमान बिना किसी उद्ययन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रह है, आयोग की विस्तारित वित्तसंगी घोड़ बेटन/बेटनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>टिप्पणा-4:</p> <p>चयन में अन्यथियों का साधारणकर अनुरूपत होगा।</p>

अनुसूची 3

पद नम्बर	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देशन वैदि योग के संगत	धर्म अदाता वर्गनाम	धर्म अदाता वर्गनाम	सीधे भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों में से होनी या ग्रेजुएटी हारा या प्रीलियुटि आमेशन द्वारा भर्ती की दरा है, तो उसकी संख्या	सीधे भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों में से होनी या ग्रेजुएटी हारा या प्रीलियुटि आमेशन द्वारा भर्ती की दरा है, तो उसकी संख्या	सीधे विभागीय प्रोफेशनलियुटि/ आमेशन द्वारा भर्ती की दरा है, तो उसकी संख्या	सीधे विभागीय प्रोफेशनलियुटि/ आमेशन द्वारा भर्ती की दरा है, तो उसकी संख्या	सीधे विभागीय प्रोफेशनलियुटि/ आमेशन द्वारा भर्ती की दरा है, तो उसकी संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. कर्मिक क्रम संबद्धक	130* (2013)	सामाजिक कर्मिक सेवा सहू "ग" अराजपत्रित (उन्नतीश्चिवाच)	देशन वैड-1 5200- 20200 रु. + प्रेड वेल 2400 रु.	धर्म अदाता वर्गनाम	27 वर्ष अवधन पद टिप्पणी:	विस्तीर्णात्मा प्राप्त विचारात्मक से खालक सम्बन्ध समय पर यथा अधिष्ठित अनुसूचित असी/ अनुसूचित अन्य जननार्थी/ अन्य कर्मिक प्रिय वर्गों के लिए सिद्धिकीय और अन्य प्रकारों के लिए इन्हें देखें।	भर्ती भर्ती परीक्षा द्वारा आधार पर सीधी भर्ती द्वारा द्वारा प्रोत्त व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं	90 प्रतिशत - परीक्षा द्वारा आधार पर सीधी भर्ती द्वारा 8 प्रतिशत - विभागीय परीक्षा द्वारा चयन से प्रोत्ति के द्वारा 2 प्रतिशत अध्यन (2) अध्यन:	(1) सीधी प्रतिशत - परीक्षा द्वारा द्वारा द्वारा प्रतिशत - विभागीय परीक्षा द्वारा चयन से प्रोत्ति के द्वारा र. को प्रेणी में न्यूनतम् 4 वर्ष की अवधि से पूरी कर ली है।	(1) उन नियोगक, क्रम एवं भंडार निवेशात्मक - अध्यक्ष (2) उम सेवा नियोगक अदात लेखा अधिकारी, क्रम एवं भंडार निवेशात्मक - सदस्य (3) क्रम अधिकारी, क्रम एवं भंडार निवेशात्मक - सदस्य (4) भंडार अधिकारी, क्रम एवं भंडार निवेशात्मक - सदस्य (5) प्रशासनिक अधिकारी, क्रम एवं भंडार निवेशात्मक - सदस्य ऐसे क्रम लियिकभंडार लियिक विहृते वेल 15200- 20200 रु. + प्रेड वेल 1900 र. को प्रेणी में न्यूनतम् 4 वर्ष की अवधि से पूरी कर ली है।	(6) यसानु ऊर्जा विभाग की किसी सेवाक इकाई से एक अधिकारी/अधिकारी ग्रेड "दी" क्रम एवं उसकी ग्रेड का एक अधिकारी - सदस्य दिया - 1 : प्रोत्ति के लिए	

लिए कोई अन्य आमु लिखित के साथ संबद्धी रूप से लिखितकीय	(3) आयुर्वेद के निर्भरण रेसु निर्णायक तारीख वह होगी कि प्रति में अन्यत्रियों से आवेदन पत्रों के प्रसि के लिए अधिकाम तारीख हो। (अंदरान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अन्यत्रियों में)	प्रकाश सुनी अधिकारीकर्त्ता द्वारा संबंधित ब्रेगियर्ड में निर्धारित अंक सेवा पूरी करने की तारीख के समय से तेहार को जावेगी।	दिप्पण - 2 : प्रोत्ति के लिए प्राक्ति अवधि की संगणना के लिए निर्णायक तारीख तिक य बाले बर्ब की 1 जनवरी होगी।
लिए कोई अन्य आमु लिखित के साथ संबद्धी रूप से लिखितकीय		दिप्पण - 3 : जहां ऐसे कठिन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अंक या प्रतिता सेवा पूरी कर ली है प्रोत्ति के लिए विचार किया जा रहा हो, वह उनके बाहु व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके हातों की गई ऐसी अंक या प्रतिता सेवा कोशिकात्त अंक या प्रतिता सेवा के आधे से अधिक से या दो बर्ब से, इनमें से जो भी कम ही, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कठिन व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अंक या प्रतिता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ब्रेगी में प्रोत्ति के लिए अपनी परिवेशा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	दिप्पण - 4 : प्रोत्ति के लिए व्यक्तिय अंक

टिप्पणी १ :											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2. कर्मचार स्तर और प्र कार्यालय के परिवर्तन किया जा सकता है।	303* (2013)	साथराण कंडेन्स सेल समूह "ए" अनन्तरिक्षीय (आपरेटर)	वेतन दैन-1 5200- अवधान पद ग्रेड बेतन 20200 रु. + 2400 रु.	बचत एवं अवधान पद दिएः	27 वर्ष साथराण सरकार	किसी मानवांचा लागू नहीं होता प्राचीन विविधताएव से जातक सम्प्राप्तवत में विषेमा को व्यापकता दी आएगी।	सीधी पर्यांत्री के लिए ही वार्ष द्वारा प्रोत्त क्षमियों के लिए विषाणीय परिया तथा बचत से प्रोत्ति के द्वारा कुछ नहीं 2 प्रतिशत अवधान	90 प्रतिशत - प्रतियोगी परियोगी प्रोत्ति द्वारा द्वारा वार्ष आशर पर सीधी पर्यांत्री द्वारा 8 प्रतिशत - सीधीत विषाणीय परिया तथा बचत से प्रोत्ति के द्वारा ह. को श्रेणी में व्यूतम 4 वर्ष की अंक सेवा पूरी कर तो है। (2) अवधान:	(1) सीधीत विषाणीय परियोगी परियोगी प्रोत्ति सीधीत द्वारा द्वारा लेखा अधिकारी, क्रम एवं पंडित निवासालय - अधिकारी (2) उम लेखा नियोगक अधिकारी लेखा अधिकारी, क्रम एवं पंडित निवासालय - अधिकारी (3) क्रम अधिकारी, क्रम एवं पंडित निवासालय - सदस्य (4) पंडित अधिकारी, क्रम एवं पंडित निवासालय - सदस्य (5) प्रशासनिक अधिकारी, क्रम एवं पंडित निवासालय - सदस्य (6) परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी संपर्क इकाई से एक वैज्ञानिक अधिकारी/जननियन ग्रेड "टी" अथवा इससे ऊपर की ग्रेड का एक अधिकारी - सदस्य	(1) उप नियोगक, क्रम एवं पंडित निवासालय - अधिकारी (2) उम लेखा नियोगक अधिकारी लेखा अधिकारी, क्रम एवं पंडित निवासालय - सदस्य (3) क्रम अधिकारी, क्रम एवं पंडित निवासालय - सदस्य (4) पंडित अधिकारी, क्रम एवं पंडित निवासालय - सदस्य (5) प्रशासनिक अधिकारी, क्रम एवं पंडित निवासालय - सदस्य 20200 रु. + ग्रेड बेतन 1900 रु. को श्रेणी में व्यूतम 8 वर्ष की अंक सेवा पूरी कर तो है। टिप्पण - 1 : प्रोत्ति के लिए प्रत्ता सूची अधिकारियों द्वारा संबोध श्रेणीपद में नियोगित अंक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ से तेवर को जावेगी।	टिप्पण - 2 : प्रोत्ति के लिए प्रत्ता अधिकारी की संवादना के लिए नियोगक तारीख रिक एवं वाले वर्ष की । जनवरीहोगी।

		<p>टिप्पण - 3: जहां ऐसे कर्तव्यान्वयिकों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्थक या पाक्षिका सेवा पूरी कर ली है, प्रोत्साहित के लिए विचार किया जा सकता है, वहां उनके लिए व्यक्तिगतों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्थक या पाक्षिका सेवा अपेक्षित उर्ध्वक या पाक्षिका सेवा के आधे से अधिक से या दो चर्चे से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कर्मित्वान्वयिकों सहित, जिन्होने ऐसी अर्थक या पाक्षिका सेवा पूरी कर ली है, आली उद्धर श्रेणी में प्रोत्साहित के लिए अनन्ती परिवर्गों की अधिकारी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>
		<p>टिप्पण - 4: प्रोत्साहित के लिए न्यूनतम अर्थक सेवा की संशोधन करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले उस तरीख से जिससे उठे केन्द्रीय केन्द्र आगोन की सिवायिकाओं पर अधिकारित पुनर्मिक्षित लेन्टन सरकार का विस्तार किया गया है, नियमित आकार पर की गई सेवा को आगोन की सिवायिकाओं पर आवारित किया गया है तत्कालीन ग्रेड बोलनवेतनमन पर की गई सेवा लम्फी जाती है।</p>

प्रतिविधि आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोगन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2006 से पहले तक तरीख से नियंत्रण के बेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित बोनस सरबदान का विस्तार किया गया है। नियमित आधार पर की गई सेवा को, विवाह ऊम दशा के बाहा एक से अधिक पूर्ण पुनरीक्षित बेतन का साधारण में बेतन/बोनसन सहित एक ब्रेंड में विस्तृत हो गया है और बहां यह फारदा के बाल उस पद (उन पर्दों) पर विस्तृत होगा जिसके लिए ग्रेड बोनसनमान बिंदु किसी उच्चान का साधारण प्रतिवर्षन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तृत तत्त्वानी ग्रेड बेतन/बेतनमान में की गई सेवा समर्पी जाएगी।

टिप्पणा - 5 :

बचन में अधिकारी का साक्षात्कार अंतर्वित होगा।

[का. सं 22/1(1)/2010-सीसीस्स/वॉ-II/2046]

स्थाति पाण्डेय, निदेशक

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th February, 2013

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts in Purchase and Stores Cadre, Department of Atomic Energy (DAE), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Purchase and Stores) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and the pay band and grade pay/pay scale.—The number of the said posts, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified at columns of the Schedules annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified at columns of the said Schedules annexed to these rules.

4. Initial Constitution.—The incumbents of the posts specified in the Schedules holding the said posts on regular basis in accordance with the provisions of the Department's OM Nos. 22/1/4/90-CCS/838 dated 19-07-1990, 5/2(8)/77-(RRC) Admn. II dated 10-9-1979, 22/1/1/84-CCS/1030 dated 16-11-1993, 5/2(8)/77-RRC/Admn.II dated 29-4-1980, 16/5(10)/75-PP(RRC) dated 25-05-1977, 22/1/(1)/92-CCS/262 dated 28-04-2000 and 25/1/(1)/84-CCS/357 dated 23-06-1992 shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service as the posts mentioned in Schedules 1 to 12 immediately before the commencement of these rules shall be accounted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage, with a person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Explanatory Memorandum.—The Department of Atomic Energy made the appointments of officers in Purchase and Stores cadres in accordance with provisions of its Office Memoranda mentioned in clause 4. As such the initial constitution is required for continuation of service under the provisions of these rules being made by the Department. By providing this initial constitution and retrospective effect to the provisions of the rules no one is being adversely affected.

SCHEDULE I

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band with Grade Pay/ Scale	Whether Selection Post or Non-selection Post.	Age limit for Direct Recruitment if any relaxation is available & Departmental candidates [SC/ST/OBC, PWD etc.] to be mentioned here]	Education and other qualifications required for Direct recruits will apply in the case of promoted	Period of probation, if any.	In case of recruitment by promotion whether by deputation/absorption grades from whole recruitment or by promotion or by deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee/ Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Deputy Director (Purchase and Stores)	5 *(2013) (Subject to variation depending on workload)	General Service, Group 'A' Gazzeted	PB-3 Rs. 15600-39100 + GP Rs. 7600	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By promotion failing which by deputation.	(1) Secretary, Department of Atomic Energy-Chairman (2) Director, Bhabha Research Centre- Member (3) Additional Secretary, Department of Atomic Energy- Member (4) Director, Purchase and Stores- Member (5) Expert in the relevant discipline to be nominated by Secretary, Department of Atomic Energy- Member	Note 1: In the event of promotion in the parent cadre, the Scientific Officer/Engineer shall draw the pay in his/her parent cadre. Note 2: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1 st January of the vacancy year. Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being

considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 4:

For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 5:
The selection will involve interview of the candidates.

Note 6:
The Department officers in the Senior category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for

	<p>Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-officio post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.</p> <p>Not Applicable</p> <p>12 13</p>
	<p>Promotion:</p> <p>By selection, by interview from amongst Assistant Purchase Officers in PB-2 Rs. 9300-24800 + GP Ra. 4800/5400 with six years of qualifying service in the grade.</p> <p>Deputation:</p> <p>Suitable Officers from other Central Government Departments, Ministries holding analogous or equivalent post.</p> <p>Note 1:</p> <p>The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.</p> <p>(1) Addl. Secretary/ Joint Secretary, in - charge of Purchase and Stores - Chairman. (2) Director, Purchase and Stores - Member (3) Controller, Bhabha Atomic Research Centre - Member (4) A Group 'A' Officer of Purchase and Stores cadre from other Government Department- Member.</p>
2. Purchase Officer 13* (2013) ("Subject to variation depending upon workload")	<p>Selection Post 15600- 39100 + GP Ra. 6600/-</p> <p>General Central Service, Group 'A' Gazetted.</p> <p>Not Applicable</p> <p>6 7 8 9 10 11 12 13</p>

<p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Note 4: The selection will involve interview of the candidates.</p>
<p>Note 5: The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Note 6: Period of deputation including period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Stores Officer	08* [2013] ("Subject to variation depending upon workload)	General Central Service, Group 'A' Qualified.	PB-3, Rs. 15600- 39100 + GP Rs. 6600/-	Selection Post Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Two years Not Applicable	By Promotion failing which by deputation.	Additional Secretary/ Joint Secretary, in charge of Purchase and stores- Chairman (2) Director, Purchase and Stores - Member. Deputation: Suitable Officers from other Central Departments/ Ministries holding analogous or equivalent post.	(1) A Group 'A' Officer of Purchase and stores cadre from other Government Department Member.	Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.	

pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 4: The selection will involve interview of the candidates.

Note 5: The Department officers in the leader category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputees shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 6: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of the receipt of the applications.

SCHEDULE II

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band with Grade or Pay Scale	Whether Selection Post or Non-selection Post.	Age limit	Educational Qualifications required for recruitment	Whether age and other qualifications as present, for direct recruitment will apply in the case of promoted	Period of probation, if any.	Method of recruitment:	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption from which grades promotion/deputation/absorption to be made.	If a departmental Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruit-ment
1. Assistant Purchase Officer	34* (2013)	General Central Service Group 'B' Qualified (Non-Ministerial) (* Subject to variation depending upon workload.)	PB-2 Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4800. (GP Rs. 5400 after 4 years)	Selection & Non-Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	No	(1) 80% - By Limited Departmental Examination and Selection (2) 20% - Non-selection	(1) Director, Directorate of Purchase and Stores-Chairman (2) Joint Director or Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores-Member. (3) Internal Financial Adviser, Directorate of Purchase and Stores - Member.	(1) Limited Departmental examination and selection by interview by Departmental Promotion Committee: (a) Purchase Assistants in PB-2 Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200 with a minimum of 6 years of qualifying service in the grade. (b) Senior Purchase Assistants in PB-2 Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200 with a combined qualifying service of 6 years as Purchase Assistant and Senior Purchase Assistant.	(4) A representative of appropriate grade from the Purchase Department of other Central Government or Public Sector Undertaking - Member.	Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1 st January of the vacancy year.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their services would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3:

For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6^a Central Pay Commission recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment

on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6^a Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the 'normal replacement grade' without any upgradation.

Note 4: The selection will involve interview of the candidates.

1	2 Assistant Stores officer	3 S2 (2013) r Subject to variation depending upon workload.	4 PB-2 Rs. 9300- 34800 + GP Rs. 4800. (GP 5400 after 4 years)	5 Selection & Non-selection Post	6 Not Applicable	7 Not Applicable	8 Not Applicable	9 No	10 (1) 80% - By Limited departmental Examination and selection (2) 20% - By Non-selection	11 (1) Limited Departmental Examination and selection by interview by Departmental Examination Committee.	12 (1) Director, Directorate of Purchase and Stores Chairman. (2) Joint Director or Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores - Member	13 Not Applicable	

Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.

Note 2:

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3:

For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2005 the date from which the revised pay structure

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Purchase Assistant	72 (2013) (* Subject to variation depending upon workload).	General Central Service Group 'B' Non-Ministerial (Non-Deserted).	PB-2 Rs. 9300- 34800 + GP Rs. 4200	Selection & Non-selection Post.	Not Applicable	Two years	(1) 80% By Limited Departmental examination and selection (2) 20% By non-selection.	(1) 80% By Limited Departmental examination and selection by Committee: Junior Purchase Assistants in PB-1 Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400 with a minimum of 5 years qualifying service in the grade. 2. Non-selection: Junior Purchase assistants in PB-1 Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400 with a minimum of 10 years regular service in the grade.	1. Limited Departmental Examination and selection by Committee: Purchase Assistants in PB-1 Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400 with a minimum of 5 years qualifying service in the grade. 2. Deputy Controller of Purchase Accounts or Accounts Officer, Directorate of Purchase and Stores - Member	[1] Joint Director or Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores - Chairman	[2] Deputy Controller of Purchase Accounts or Accounts Officer, Directorate of Purchase and Stores - Member	[3] A Scientific Officer/Engineer grade 'D' or above from one of the constituent units of Atomic Energy Commission.
Note 4:	The selection will involve interview of the candidates.											
Note 1:	The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1 st January of the vacancy year.											
Note 2:	Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being											

692 GI/13-II

Energy- Member

considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3:

For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6a Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6a Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 4:
The selection will involve interview of the candidates.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Store Keeper	166* (2013) (* Subject to variation depending upon workload)	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	PB-2 Rs. 9300 + GP Rs. 3400 + GP Rs. 4200	Selection & Non-selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Two years	(1) 80% - By Limited Departmental examination and selection.	(1) Limited Departmental examination and selection by Departmental Promotion Committee.	(1) Joint Director or Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores- Chairman and Stores- Member	Not Applicable
									(2) 20% - By non-selection.	(2) Junior Storekeepers in PB-1 Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400 with a minimum of 5 years qualifying service in the grade.	(2) Deputy Controller of Accounts or Accounts Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member	

SCHEDULE III

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Band with Grade Pay/ Scale	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Age limit for Direct Recruit. If any relaxation is available e.g. Departmental candidates SC/ST/OBC, PWD etc.) to be mentioned here)	Educational and other qualifications required for Direct recruits	Whether age and educational qualification as prescribed for direct recruits will apply in the case of promoted	Period of protection , if any.	Method of Recruitment:	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which recruitment or promotion or deputation/absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
										10	11	12	
1. Junior Purchase Assistant	130* (2013) (* Subject to variation depending upon workload)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	PB-1, Ra. 5200- 20200 + GP Ra. 2400	Selection & Non-selection Post	27 years (1) Relaxable for SC/ST/OBCs and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time. (2) Relaxable cumulatively with any other age relaxation for SCs/STs/ OBCs. (3) The crucial date for determination of the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Graduate from any recognised University Diploma in Material Management will be preferred.	Not Applicable	Two years for recruitment of nominees.	90% - By Direct recruitment on the basis of competitive examination and selection Nil	1. Promotion by Limited Departmental Examination and selection by Departmental Promotion Committee: Purchase Clerks/Stores Clerks in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Rs. 1900 with a minimum of 4 years regular service in the grade. 2. Non-selection Purchase Clerks/Stores Clerks in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Rs. 1900 with a minimum of 8 years regular service in the grade. 2% Non-selection	1. Promotion by Limited Departmental Examination and selection. 2. Non-selection Purchase Clerks/Stores Clerks in PB-1 Ra. 5200-20200 + GP Rs. 1900 with a minimum of 8 years regular service in the grade.	1. Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores- Member (2) Deputy Controller of Accounts or Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (3) Purchase Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (4) Stores Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (5) Administrative Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (6) Scientific Officer or Engineer Grade 'D' or above from one of the constituent units of Department of Atomic Energy- Member	1. Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores- Chairman (2) Deputy Controller of Accounts or Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (3) Purchase Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (4) Stores Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (5) Administrative Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member (6) Scientific Officer or Engineer Grade 'D' or above from one of the constituent units of Department of Atomic Energy- Member
												Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.	
												Note 2: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.	
												Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligiblity service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligiblity service by more than	

692 GI/13-12

half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 4: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Note 5: The selection will involve interview of the candidates.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Junior Store keeper	303* (2013) (* Subject to variation depending upon workload)	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Qualified)	PB-1, Rs. 5200- 20200 + GP Rs. 2400	Selection & Non-selection Note: (1) Releasable for SC/ST/ OBCs and certain other categories as notified by the Central Govt. from time to time. (2) Releasable cumulatively with any other age relaxation for SCs/STs/ OBCs.	27 years	Graduate from any other recognized University	Not Applicable	Two years for direct recruitment	30% - By Direct Recruitment on the basis of competitive examination and selection after interview. 8% - By Promotion by Limited Departmental commission and selection.	1. Promotion by Limited Departmental examination and selection by Departmental Committee. Purchase Clerks/Stores Clerks in PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900 with a minimum of 4 years regular service in the grade. 2. Non-selection Purchase Clerks/Stores Clerks in PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900 with a minimum of 8 years regular service in the grade	[1] Deputy Director, Directorate of Purchase and Stores- Member [2] Deputy Controller of Accounts or Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member [3] Purchase Officer, Directorate of Purchase and Stores- Member	Not Applicable

Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.

Note 2: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year.

Note 3:

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 4:
For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 till the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the

	<p>Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the point(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p>Note 5: The selection will involve interview of the candidates.</p>

[F. No. 22/1/(1)Y/2010-CCS/Vol. II/2046]

SWATI PANDEY, Director